

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से इस विभाग की अधिसूचना संख्या पी0ई0आर0 (ए0पी0-सी) ए (3)-2/99 तारीख 13 अप्रैल, 2007 द्वारा अधिसूचित, हिमाचल प्रदेश वर्ग-III सेवाएं (लिपिक/आशुटकक/ सांख्यिकी सहायक) सामान्य भर्ती नियम, 2007 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात्:-

संक्षिप्त नाम और 1
प्रारम्भ।

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश कार्मिक विभाग वर्ग-III सेवाएं (लिपिक/ आशुटकक/सांख्यिकी सहायक) सामान्य भर्ती और प्रोन्नति (प्रथम संशोधन) नियम, 2008 है।

(2) ये नियम राजप्रत्र हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

उपाबन्ध-1 में 2
संशोधन
(लिपिक)।

हिमाचल प्रदेश कार्मिक विभाग वर्ग-III, सेवाएं (लिपिक/आशुटकक/ सांख्यिकी सहायक) सामान्य भर्ती नियम, 2007 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् "उक्त नियम" कहा गया है) के उपाबन्ध-1 में :-

(1) स्तम्भ संख्या-7 के सामने विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

(क) "अनिवार्य अर्हता :

(i) मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड/विश्वविद्यालय से दस जमा दो की परीक्षा पास की हो या इसके समकक्ष हो।

(ii) अंग्रेजी टंकण में कम से कम तीस शब्द प्रति मिनट या हिन्दी टंकण में पच्चीस शब्द प्रति मिनट की गति रखता हो"।

(ख) वॉछनीय अर्हता :

हिमाचल प्रदेश की रूढ़ियों, रीतियों, और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट

दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता।

(2) स्तम्भ संख्या-8 के सामने विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

"आयु : लागू नहीं
शैक्षिक : जैसी उपरोक्त स्तम्भ संख्या
अर्हता 7 क (1) में विहित है"।

(3) स्तम्भ संख्या-11 के सामने विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

वर्ग-IV कर्मचारियों में से पदोन्नति द्वारा, जिन्होंने मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड/ विश्वविद्यालय से दस जमा दो या इसके समकक्ष परीक्षा पास की हो और जिनका पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल हो :

परन्तु यदि वर्ग-IV का कोई कर्मचारी मैट्रिक या हिन्दी रत्न सहित मैट्रिक (अंग्रेजी) की अर्हता के साथ लिपिक के पद पर प्रोन्नति के लिए पात्र हो जाता है तो उसे प्रोन्नत कर दिया जाएगा परन्तु उसे तीन वर्ष के भीतर दस जमा दो स्तर की अर्हता प्राप्त करनी होगी। यदि वह 31.12.2011 तक दस जमा दो की अर्हता प्राप्त करने में असफल रहता है तो उसे लिपिक से वर्ग-IV के पद पर प्रत्यावर्तित कर दिया जाएगा :

परन्तु यह और कि लिपिक के रूप में प्रोन्नत सभी ऐसे वर्ग-IV कर्मचारियों को, परिवीक्षा अवधि के दौरान अंग्रेजी टंकण में कम से कम तीस शब्द प्रति मिनट की गति से या हिन्दी टंकण में पच्चीस शब्द प्रति मिनट की गति से टंकण परीक्षा पास करनी होगी, जो सम्बद्ध विभाग द्वारा संचालित की जाएगी और पदधारियों को परिवीक्षा अवधि के दौरान तीन अवसर प्रदान किए जाएंगे। यदि अभ्यर्थी विहित अवधि के भीतर टंकण परीक्षा को उत्तीर्ण करने में असफल रहते हैं तो, उनकी परिवीक्षा अवधि बढ़ा दी जाएगी। इस अवधि के दौरान पदधारी को एक और अवसर दिया जाएगा। यदि अभ्यर्थी बढ़ाई गई अवधि में भी टंकण परीक्षा पास न कर सकें तो वे लिपिक से

वर्ग-प्ट कर्मचारी के पद पर पदावनत कर दिए जाएंगे :

प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए वर्ग- प्ट के कर्मचारियों की, उनके सेवाकाल के आधार पर, उनकी संवर्गवार पारस्परिक वरिष्ठता को छोड़े बिना एक संयुक्त वरिष्ठता सूची विहित की जाएगी।

(1) प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरण पद में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अधीन रहते हुए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरण प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात् की गई थी:

परन्तु उन सभी मामलों में जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरण पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई तदर्थ सेवा सहित ,जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां अपने-अपने प्रवर्ग/पद/काडर में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से उपर रखे जाएंगे:

परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, की कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगी:

परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा/समझे जाएंगे।

स्पष्टीकरण:- अंतिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा, यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है जिसे डिमोबीलाइज्ड आमर्ड फोर्सिज परसोनल (रिजर्वेशन

ऑफ वैकेन्सीज इन हिमाचल स्टेट नॉन टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज,1972 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया है और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स सर्विसमें (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज,1985 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों।

(2) इसी प्रकार स्थाईकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व की सम्भरण पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी,यदि तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति उचित चयन के पश्चात् और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थी:

परन्तु की गई उपर्युक्त निर्दिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात् जो स्थाईकरण होगा उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी।

उपाबन्ध-11 में 3
संशोधन
(आशुटंकक)

"उक्त नियमों" के उपाबन्ध-11 में स्तम्भ-7 के सामने विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

(क) "अनिवार्य अर्हता :

(i) मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड/विश्वविद्यालय से दस जमा दो की परीक्षा पास की हो या इसके समकक्ष हो।

(ii) प्रारम्भिक नियुक्ति के समय दोनों भाषाओं अर्थात् अंग्रेजी और हिन्दी में आशुलिपि तथा टंकण में निम्नलिखित गति रखता हो :-

आशुलिपि में गति

अंग्रेजी

साठ शब्द प्रति

मिनट

टंकण में गति

अंग्रेजी

पच्चीस शब्द प्रति

मिनट

हिन्दी

साठ शब्द प्रति

मिनट

हिन्दी

पच्चीस शब्द प्रति

मिनट

(iii) भर्ती प्राधिकरण द्वारा यथाविहित कम्प्यूटर में शब्द प्रसंस्करण का ज्ञान रखता हो।

(ख) वॉछनीय अर्हता :

हिमाचल प्रदेश की रूढ़ियों, रीतियों, और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान

विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए
उपयुक्तता।

आदेश द्वारा,

सचिव (कार्मिक)

हिमाचल प्रदेश सरकार।

पृष्ठांकन सं०: यथोपरि।

तारीख शिमला-2] 11 uoEcj] 2008-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को प्रेषित है:-

1. समस्त प्रशासनिक सचिव/विशेष सचिव/अतिरिक्त सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार।
2. समस्त मण्डलायुक्त हिमाचल प्रदेश।
3. समस्त विभागाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश।
4. समस्त उपायुक्त हिमाचल प्रदेश।
5. सचिव, हि०प्र० लोक सेवा आयोग शिमला
6. सचिव, अधीनस्थ सेवायें चयन बोर्ड हमीरपुर।
7. उप विधि परामर्शी एवं उप सचिव (विधि), हिमाचल प्रदेश सरकार।
8. नियन्त्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, शिमला-5 को राजपत्र असाधारण में तुरन्त प्रकाशन के लिए।
9. 250 प्रतियां गार्ड फाईल के लिए।

हस्ताक्षरित/-

उप सचिव (कार्मिक)

हिमाचल प्रदेश सरकार।

(authoritative English text of Notification No. Per (AP-C)A(3)2/99 Dated 11.11.2008 as required under Clause-(3) of Article 348 of Constitution of India).

Government of Himachal Pradesh

Department of Personnel (AP-III).

No. Per (AP-C) A (3) 2/99 Dated: Shimla-2, the 11th November, 2008.

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh, Class-III Services (Clerks/Stenotypists/Statistical Assistants) Common Recruitment Rules, 2007 in the Department of Personnel notified vide this Department Notification No. Per (AP-C) A (3) 2/99 dated the 13th April, 2007 namely:-

SHORT TITLE AND COMMENCEMENT

1. (1) These rules may be called the Himachal Pradesh, Department of Personnel Class-III Services (Clerks/Stenotypists/ Statistical Assistants) Common Recruitment & Promotion (First Amendment) Rules, 2008.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, H.P.

AMENDMENT IN 2. ANNEXURE-I (CLERKS).

In Annexure-I of the Himachal Pradesh, Class-III Services (Clerks/ Stenotypists/ Statistical Assistants) Common Recruitment & Promotion Rules, 2007 (hereinafter referred to as "the said rules"):-

(1) For the existing entries against Col. No. 7, the following shall be substituted, namely:-

(a) **ESSENTIAL QUALIFICATION:**

(i) Should have passed 10+2 examination or its equivalent from a recognised Board of School Education/ University.

- (ii) Should possess a minimum speed of 30 words per minute in English typewriting or 25 words per minute in Hindi Typewriting.

(b) DESIRABLE QUALIFICATION:

Knowledge of customs, manner and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.

- (2) For the existing entries against Col. No. 8, the following shall be substituted, namely:-

Age - N.A.

Educational Qualification As prescribed in Col. No. 7 (a) (i) above.

- (3) For the existing entries against Col. No. 11, the following shall be substituted, namely:-

By promotion from amongst the Class-IV officials who have passed 10+2 examination or its equivalent from a recognized Board of School Education/University and possess five years regular service or regular combined with continuous adhoc service rendered, if any, in the grade:

Provided that if a Class-IV official is otherwise eligible to be promoted to the post of Clerk with the qualification Matric or Hindi Rattan with Matric (English) then he will be so promoted but shall have to acquire the qualification of 10+2 standard within 03 years. If the candidate fails to acquire the 10+2 qualification by 31.12.2011, then he shall be reverted from Clerk to the Class-IV post.

Provided further that all the Class-IV officials so promoted as Clerks will qualify the typing test with a minimum speed of 30 words per minute in English Typewriting or 25 words per minute in Hindi Typewriting within the probation period which will be conducted by the concerned Departments and the incumbents will get three chances during the probation period. If the candidates failed to qualify the typing test within the prescribed period, their probation period will be extended. During this period the incumbents will get one more chance. If the candidates still failed to qualify the typing test in the extended period, they will be reverted from

Clerk to Class-IV post.

For the purpose of promotion a combined seniority of eligible Class-IV officials on the basis of length of service without disturbing their cadre wise inter-se-seniority shall be prescribed.

(1) In all cases of promotion, the continuous adhoc service rendered in the feeder post if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these Rules for promotion subject to the conditions that the adhoc appointment/promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of R & P Rules;

(i) Provided that in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his total length of service (including the service rendered on adhoc basis followed by regular service/appointment) in the feeder post in view of the provisions referred to above, all persons senior to him in the respective category/post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration;

Provided that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least three years or that prescribed in the Recruitment & Promotion Rules for the post, whichever is less;

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.

Explanation:-The last proviso shall not render the junior incumbents ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible persons happened to be ex-servicemen recruited under the provisions of Rule-3 of Demobilized Armed Forces Personnel (Reservation of Services in Himachal State Non-Technical Services) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority hereunder or recruited under the provisions of Rule-3 of Ex-Servicemen (Reservation of vacancies in the Himachal Pradesh Technical Service) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority

thereunder.

(ii) Similarly, in all cases of confirmation, continuous adhoc service rendered on the feeder post if any, prior to the regular appointment against such posts shall be taken into account towards the length of service, if the adhoc appointment/promotion had been made after proper selection and in accordance with the provision of the Recruitment & Promotion Rules; Provided that inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into account, adhoc service rendered as referred to above shall remain unchanged.

**AMENDMENT IN
ANNEXURE-II
(STENO-TYPIST)**

3.

In Annexure-II of the "said Rules",---

For the existing entries against Col. No. 7, the following shall be substituted, namely:-

(a) **ESSENTIAL QUALIFICATION:**

(i) Should have passed 10+2 examination or its equivalent from a recognised Board of School Education/ University.

(ii) Should possess following speed in shorthand and typewriting in both languages i.e. English and Hindi at the time of initial appointment:-

Speed in Shorthand

<u>English</u>	<u>Hindi</u>
60 WPM	60 WPM

Speed in typewriting

<u>English</u>	<u>Hindi</u>
25 WPM	25 WPM

(iii) Should have the knowledge of word processing in computer as prescribed by the recruiting authority.

(b) **DESIRABLE QUALIFICATION:**

Knowledge of customs, manner and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.

By order

Secretary (Personnel) to the

Government of Himachal Pradesh.

Endst. No. (AP-C)A(3)2/99

Dated: Shimla-171002, the 11th November, 2008.

Copy forwarded to:-

1. **All the Principal Secretaries/Secretaries/ Special Secretaries/Additional Secretaries/ Joint Secretaries/Deputy Secretaries/Under Secretaries to the Govt. of H.P. Shimla-2.**
2. **All the Divisional Commissioners in Himachal Pradesh.**
3. **All the Heads of Departments in Himachal Pradesh.**
4. **All the Deputy Commissioners in Himachal Pradesh.**
5. **Secretary, H.P. Public Service Commission, Shimla-2.**
6. **Secretary, H.P. Subordinate Services Selection Board, Hamirpur.**
7. **Deputy Legal Rememberancer-cum-Deputy Secretary (Law) to the Govt. of Himachal Pradesh.**
8. **Controller (Printing & Stationery) Shimla-5 for publication in the extra ordinary Rajpatra, H.P.**
9. **250 spare copies.**

Sd/-

**Deputy Secretary (Personnel) to the
Government of Himachal Pradesh.**